इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2012—चैत्र 31, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. एफ 25-17-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में उस संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त

व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, ''मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के अपने स्टाक की घोषणा प्रारूप ''घ'' में करेगा और, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा:—

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये वार्षिक शुल्क:—

	वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क	
	व्यापारी	उपभोक्ता	विनिर्माता तथा उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	भवन निर्माण ठेकेदार के लिए 1 घनमीटर	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घनमीटर	रुपये 1000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए रुपये 1000/-	वास्तविक उपभोक्ता रुपये 200/-
(ख)	बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए 1 घनमीटर.			(ख) बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए रुपये 200/-	
(ग)	विनिर्माता/व्यापारी के लिए, 1 घनमीटर			(ग) केवल व्यापारी के लिए रुपये 1000/-	

टिप्पणी—

(1) आवदेन के साथ उपरोक्त दर पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, किसी व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता को उसके द्वारा ऐसी कालावधि के लिए शुल्क संदत्त किए जाने पर एक या दो या तीन वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(2) रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के दौरान, यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के विरुद्ध कोई अनियमितता अथवा वन अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो पूर्वोक्त कालावधि के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, वनमंडल के भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित आदेश जारी कर, राजसात कर लिया जाएगा.

(3) यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता, वनमंडल के भारसाधक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो, वह वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी को एक माह की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा. वन वृत्त के भार साधक अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. एफ 25-17-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-17-2009-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal the 12th April 2012

No.F-25-17-2009-X-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kashta Niyam, 1973, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No.9 of 1969) is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 21 of the said Act, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (1) Every manufacturer who uses any specified timber as a raw material and every trader and consumer whose annual use, requirement or consumption, as the case may be, exceeds the quantity given in the Schedule below, shall declare his stock of specified timber in Form D and get himself registered in the manner hereinafter provided after payment of an annual registration fee specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

Minimum quantity for which registration is necessary for Manufacturers, traders and consumers and the annual registration fee for manufacturers, traders and consumers:—

	Minimum quantity for which registration is necessary				Annual registration fee	
	Trader	Consumer	Manufacturer and Consumer		Traders	Consumer
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
(a)	House building contractors 1 cu.m.	Bonafide purposes 10 cu.m.	Rs. 1000/-	(a)	House building contractors Rs. 1000/-	Bonafide Consumer Rs. 200/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(b)	Carpentry shops furniture makers including turnery artisans 1 cu.m.			(b) Carpentry shops furniture makers including turnery artisans Rs. 200/-
(c)	Manufacturer/ Trader 1 cu.m.			(c) Only traders Rs. 1000/-

Note—

(1) After paying the annual registration fees at the above rates along with the application, a Trader / Manufacturer / Consumer shall be registered for one or two or three years, as per the fees paid by him for such a period.

(2) During the registration period if any irregularity or forest offence is registered against the Trader / Manufacturer / Consumer, his registration shall be cancelled for the aforesaid period and registration fee shall be forfeited by the In-charge Officer of the Forest Division after issuing appropriate orders.

(3) If the Trader / Manufacturer / Consumer is not satisfied with the order issued by the In-charge Officer of the Forest Division, then he may prefer an appeal to the In-charge Officer of the Forest Circle within a period of one month. The decision taken by the In-charge Officer of the Forest Circle shall be final."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal the 10th April 2012

AMENDMENT

No. F. 1041-262-E-IV.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the State Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951), the Board of Directors of the Madhya Pradesh Financial Corporation, after consultation with Small Industrial Development Bank of India and after previous sanction of the State Government, hereby amends Maternity leave-86(l) (Regulations) for the Madhya Pradesh Financial Corporation (Staff) Regulation, 1958 as under :—

In Regulation 86(1) of the said Regulations, the digits "90", wherever, occuring, shall be substituted by the digits "180". This amendment shall come into force from the date of publication of amendment of Rule 38(1) of M.P. Civil Secrvices (Leave) Rules, 1977 in the State Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHRINKHALA SANGEENE, Under Secy.

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 3-11-2012-छब्बीस-2-विभागीय क्रमांक-एफ-3-33-2008-छब्बीस-2.—दिनांक 12 अगस्त, 2008 द्वारा राज्य में नि:शक्तजनों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय पुरस्कार देने, प्रदेश में निवासरत श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थिबाधित, मन्दबुद्धि एवं विकलांग के सामाजिक पुनर्वास तथा नि:शक्तता के क्षेत्र में, उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक, कार्यकर्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं महिमा मंड़ित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "**महर्षि दधीचि**" पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार, एतद्द्वारा नियम बनाये गए हैं. प्रचलित महर्षि दधीचि पुरस्कार नियम, 2008 की कंडिका 7 की उपकंडिका 4 के स्थान पर अंत: व्याक्यांश स्थापित किया गया है अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**—(1) ये नियम मध्यप्रदेश महर्षि दधीचि पुरस्कार नियम, 2008 कहलायेंगे.

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(अ) "निर्णायक मंडल" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 4 के अधीन गठित निर्णायक मंडल;

(ब) "राज्य सरकार से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग"

3. **पुरस्कार का स्वरूप.**—मध्यप्रदेश महर्षि दधीचि पुरस्कार नि:शक्तता की चार श्रेणियों—श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक्-पृथक् दिया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार रुपये 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार रुपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रुपये 25 हजार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. उक्त पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को आयोजित होने वाले विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर प्रदान किया जायेगा. पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य में नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा नियत निर्णायक मंडल द्वारा चयन करने पर दिया जावेग:

परन्तु निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर उक्त पुरस्कार की नगद राशि दो या अधिक समाज सेवियों के मध्य विभाजित भी हो सकती है.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.**—(1) राज्य सरकार समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से प्रतिष्ठित समाज सेवी प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों के निर्णायक मंडल का गठन करेगी. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग निर्णायक मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग पदेन सचिव होंगे.

(2) निर्णायक मंडल प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए अलग-अलग गठित किया जावेगा;

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियां.**—(1) निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा;

(2) पुरस्कार के लिए चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी;

(3) निर्णायक मंडल संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कारों के उद्देश्यों के अनुरूप पाता है.

(4) सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक ही समाज सेवी का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मंडल यदि आवश्यक समझे तो, वह एक पुरस्कार के लिये दो या इससे अधिक समाजसेवियों का भी चयन कर सकेगा और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी.

(5) निर्णायक मंडल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा;

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड "ए" के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी. निर्णायक मंडल के सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने की भी पात्रता होगी.

6. **चयन की प्रक्रिया.**—पुरस्कार के लिये उपयुक्त समाजसेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश द्वारा माह मई में प्रमुख अखिल भारतीय और प्रादेशिक समाचार पत्र / पत्रिकाओं में राज्य शासन, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत / प्रेषित करने के लिये कम से कम दो माह का समय दिया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा, परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य सरकार आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि समाज सेवी द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उनके सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति द्वारा अथवा संगठन द्वारा राज्य शासन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जा सकेगी :—

(क) समाज सेवी का पूर्ण परिचय;

(ख) नि:शक्त कल्याण के निर्दिष्ट क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी;

(ग) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कहीं कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसके विवरण सहित प्रतिवेदन की प्रतिलिपि;

(घ) नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र, पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां;

(ङ) पूर्व में यदि कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण;

(च) चयन होने की दशा में पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति.

(3) चयन के लिये इन नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

(4) एक बार प्रस्तुत की गई प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होंगी, उनके लिये नई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगा.

(5) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाजसेवी का सेवा कार्य पुरस्कार योग्य नहीं है, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाजसेवी जिनका तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सका है, तो वे पश्चात्वर्ती वर्षों में पुन: प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.

(6) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(7) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों, प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का होगा, इस मामले में राज्य सरकार का किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों, प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा.

(8) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को 15 दिन के भीतर में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नलिखित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा :—

पंजीयन क्रमांक (1)	समाजसेवी संस्था का नाम तथा पता (2)	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता (3)	प्राप्त कागजातों में कुल पृष्ठों की संख्या (4)	प्रविष्टि प्राप्ति का दिनांक (5)	अन्य विवरण (6)

(9) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम एक माह की समयावधि में तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जावेगी :—

1. समाज सेवी का नाम एवं पता . . . . . .
2. प्रस्तावक का नाम / संस्था . . . . . .
3. समाज सेवी का संक्षिप्त परिचय . . . . . .
4. सेवा कार्य का क्षेत्र . . . . . .
5. सेवा कार्य की उपलब्धियां . . . . . .
6. रचनाएं / प्रकाशन / आत्मकथा (यदि कोई हो) . . . . . .
7. पूर्व में प्राप्त पुरस्कार / सम्मान / प्रशंसा प्रमाण-पत्र आदि . . . . . .
8. पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति . . . . . .

7. **चयन के माप-दण्ड.**—पुरस्कार के लिये उत्कृष्ट समाजसेवी के चयन का निम्नलिखित माप-दण्ड होगा :—

(1) पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसे समाजसेवी अथवा समाजसेवियों का चयन किया जावेगा जो मध्यप्रदेश में निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हों.

(2) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिए उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में वे सदस्य हैं.

(3) निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी भी महर्षि दधीचि पुरस्कार के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.

(4) शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय वेतनभोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.
उक्त कंडिका 4 के स्थान पर निम्नानुसार वाक्यांश स्थापित किया गया है :—
शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं. पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.

(5) समाज सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य में निर्दिष्ट निःशक्त कल्याण के क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए.

(6) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाजसेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है अर्थात् सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.

(7) पुरस्कार चूंकि समाजसेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के, एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए.

(8) सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र / वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

(9) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति / नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, इस पर विचार किया जाएगा.

(10) किसी स्वैच्छिक संस्था से सम्बद्ध समाजसेवी के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा, जिस कार्य से समाजसेवी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा.

8. **पुरस्कार की घोषणा.**—निर्णायक मंडल द्वारा जिस समाजसेवी / समाज सेवियों / संस्था का चयन होगा, उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी तथा उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाजसेवी / सेवियों / संस्था के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह.**—पुरस्कार का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर विश्व विकलांग दिवस पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिये चयनित समाजसेवी / सेवियों / संस्थाओं के प्रतिनिधि को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा, विशेष परिस्थितियों में ये अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, समाजसेवी की रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्रेड "ए" के समकक्ष यात्रा एवं भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां.**—मध्यप्रदेश महर्षि दधीचि पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति निराश्रित निधि (राज्य निराश्रित कोष) से की जावेगी. व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

11. **अभिलेख का संधारण.**—आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, प्रतिवर्ष के पुरस्कार प्रविष्टियों, चयनित समाज सेवियों आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. समारोह के समय चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवा कार्य आदि के संबंध में एक स्मारिका पुस्तिका प्रतिवर्ष जारी की जावेगी.

राज्य सरकार, को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा, इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर उसके निराकरण का अधिकार प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग को होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा (पंचम तल) विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. 1115-मप्रविनिआ—2012.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 3042 दिनांक 9 नवम्बर 2010 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जिसे दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किया गया है, को निम्नानुसार संशोधित / परिवर्धित करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में द्वितीय संशोधन / परिवर्धन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 (एआरजी—33 (I) (ii), वर्ष 2012)''** कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

1.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

2. **विनियम 4, 5, 7 एवं 10 में संशोधन.**—मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जिसे एतद् पश्चात् **प्रधान विनियम** कहा गया है, के विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जावेगा, अर्थात् :—

(i) प्रधान विनियम में विनियम 4.1 के अन्तर्गत शब्दों ''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन को सम्मिलित करते हुए'' को शब्द ''सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से'', प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(ii) प्रधान विनियम में विनियम 4.2 के अन्तर्गत शब्दों ''नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह-उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए'' को शब्द ''सह-उत्पादक सहित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से'', प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iii) प्रधान विनियम में विनियम 5 के अन्तर्गत शब्दों ''विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से'' को शब्द ''सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से'', प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iv) प्रधान विनियम में विनियम 7.1 एवं 10 के अन्तर्गत शब्दों ''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन तथा सह-उत्पादन'' को शब्द ''सह-उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन'', प्रतिस्थापित किया जायेगा.

3. **विनियम 9 में परिवर्धन.**—प्रधान विनियम में विनियम-9 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

''9. 10 मेगावाट एवं अधिक की सामूहिक क्षमता वाले पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादक तथा 5 मेगावाट एवं अधिक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र के अनुसूचीकरण पर उचित निर्देश, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विषय पर निर्णय लेने के पश्चात्, जारी किये जायेंगे तथा ग्रिड संहिता में आवश्यक प्रावधानों को समाविष्ट किया जाएगा.''

3. **विनियम 16 में परिवर्धन.**—प्रधान विनियम में विनियम 16.2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

''16.3 गैर परंपरागत स्त्रोतों से विद्युत खरीदी के लिये विभिन्न टैरिफ आदेशों एवं अन्य विनियमों में इस संशोधन के अधिसूचित होने के पूर्व कुछ भी विपरीत बात के होते हुए भी इन विनियमों के उपबंध सह-उत्पादन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन पर लागू होंगे.''.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated 9th April 2012

No. 1115-MPERC-2012.—In exercise of the powers under Section 181(2) (zp) read with Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment / addendum in MPERC (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, 2010 notified in Madhya Pradesh Gazette *vide* No. 3042 dated 9th November, 2010 and published on 19th November, 2010.

SECOND AMENDMENT/ADDENDUM TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (COGENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION - I) REGULATIONS, 2010

1. **Short Title and Commencement.**—1.1 These Regulations may be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [ARG-33(I)(ii) of 2012].

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of Government of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall apply to the whole of the Madhya Pradesh State.

2. **Amendment to Regulation 4, 5, 7 and 10.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010, hereinafter called the Principal Regulations, the following shall be amended, namely :—

(i) In the Principal Regulations, under Regulations 4.1 the words "Co-generation from Renewable Sources of electricity" shall be substituted by the word "Co-generation".

(ii) In the Principal Regulations, under Regulations 4.2 the words "Co-generators from Renewable Sources" shall be substituted by the word "Co-generators".

(iii) In the Principal Regulations, under Regulations 5 the words "Co-generation from Renewable Sources of Energy" shall be substituted by the word "Co-generation".

(iv) In the Principal Regulations, under Regulations 7.1 and 10 the words "Co-generation from Renewable Sources" shall be substituted by the word "Co-generation".

3. **Amendment to Regulations 9.**—In the Principal Regulations, the Regulation 9 shall be substituted as under :—

"9. **Scheduling of Co-generation and Renewable Sources of Energy.**—Appropriate directives shall be issued on scheduling of Wind Electric Generators with collective capacity of 10 MW and above and Solar Generating Plants with capacity of 5 MW and above after the issue is decided by the CERC and necessary provisions in the Grid Code are incorporated."

4. **Addendum to Regulation 16.**—In the Principal Regulations, the following shall be inserted after Regulations 16.2 :—

"16.3 The provisions of these Regulations shall be applicable to the Co-generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy notwithstanding anything contrary contained in various Tariff Orders for procurement of power from Non-conventional Sources of Energy and other Regulations prior to notification of this amendment." .

By order of the Commission,
P. K.CHATURVEDI, Commission Secy.

भोपाल दिनांक, 13 अप्रैल, 2012

क्रमांक – 1191/म.प्र.विनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61, 62, 86 तथा 181 (2) (जेडपी) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 26 सहपठित धारा 55 द्वारा इस संबंध में समस्त प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012)

प्रस्तावना

जबकि, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 24 तथा 25 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 तथा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अन्तरण योजना नियम 2003, (Transfer Scheme Rules, 2003) यथासंशोधित जारी किये गये हैं जिनके अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (**'मण्डल'**) द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण, सम्पत्ति के हित, अधिकारों तथा दायित्वों एवं कार्मिकों के अलावा मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में निबंधन तथा शर्तों का प्रावधान भी किया गया है;

तथा जबकि, उत्तराधिकारी इकाईयों द्वारा मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के समस्त कार्मिकों को पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की स्वीकृति के बारे में एक संयुक्त याचिका दायर की गई थी;

तथा जबकि, याचिकाओं का निपटान करते समय, आयोग द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि इस विषय को टैरिफ विनियमों से असंबद्ध किये जाने के प्रयोजन से पृथक विनियम बनाये जाएं;

अतएव आयोग एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार, टैरिफ अवधारण के माध्यम से पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं तथा इन दायित्वों के निधीयन हेतु निम्न विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारंभ :** 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी– 38 , वर्ष 2012)"** कहलाऐंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे। टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से इसके उपबंध, इसके प्रकाशन वर्ष के अनुवर्ती वित्तीय वर्ष से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम ऐसे समस्त कार्मिकों को लागू होंगे जैसा कि इन्हें, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अन्तरण योजना नियम, 2003 (MadhyaPradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003) जैसा कि इसे दिनांक 13.06.2005 को संशोधित किया गया है, के नियम 3(एम) तथा विद्यमान पेंशनभोगियों हेतु नियम 7(ii) में परिभाषित किया गया है ।

2. **परिभाषाएं :**

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(क) "मण्डल (Board)" का तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (Madhya Pradesh State Electricity Board) से है;

(ख) "विद्यमान पेंशनभोगी/पेंशन भोगियों (Existing Pensioner(s))" का तात्पर्य दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में विद्यमान समस्त पेंशनभोगी/पेंशनभोगियों से हैं;

(ग) "पेंशनभोगी/पेंशनभोगियों (Pensioner(s))" का तात्पर्य ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों से है जो उनकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं तथा इनमें दिवंगत कार्मिकों के ऐसे पारिवारिक सदस्य भी शामिल होंगे जो नियमों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं;

(घ) "कार्मिक (Personnel) से तात्पर्य मण्डल के श्रमिकों (workmen), कर्मचारियों (employees) पदाधिकारियों (staff), अधिकारियों (officers), प्रशिक्षुओं (trainees) से है, भले ही उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया गया हो तथा इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो दिनांक 1.6.2005 को अन्य संगठनों तथा संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे तथा जो उनकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं;

(ड़) "उत्तराधिकारी इकाइयों (Successor Entities)" का तात्पर्य मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड या अन्य कोई शासकीय स्वामित्व वाली इकाई जिसके अन्तर्गत यथासंशोधित अन्तरण योजना, के अनुसार कार्मिकों का स्थानान्तरण कर दिया जाए या अन्य कोई उत्तराधिकारी इकाई जिसमें मण्डल की सम्पत्ति, सम्पत्ति के हित, अधिकार तथा दायित्व वेष्ठित किये गये हों;

(च) "सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits)" से तात्पर्य उपदान (gratuity), पेंशन (Pension), मंहगाई राहत (dearness relief) तथा अन्य प्रयोज्य राहत, चिकित्सा प्रसुविधा (medical benefit) तथा अन्य प्रयोज्य प्रसुविधाओं से हैं, जिनमें मण्डल में पूर्व में प्रचलित पद्धति के अनुरूप उपरोक्त प्रसुविधाओं से समुचित पुनरीक्षणों के अनुरूप संबंधित अधिकार भी शामिल होंगे;

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है, वहीं अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम/नियमों/विनियमों में इनके बारे में निर्दिष्ट किया गया हो ।

पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं का निधियन (Funding of pension and other Terminal Benefits)

(1) मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के निधीयन की स्वीकृति इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार आयोग द्वारा उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में समय–समय पर अवधारित टैरिफ के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

(2) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों तथा कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के बारे में दायित्व में निम्न मदें शामिल होंगी :

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियम 3 (8) के उपबंध के अध्यधीन विद्यमान पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए समस्त पेंशनभोगियों को भुगतान किये जाने हेतु रोकड़ बाह्य प्रवाह (Cash outflow);

(ii) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों के संबंध में दिनांक 31.3.2005 तक, दोनों सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों के संबंध में, उनकी समस्त भूतकालिक सेवाओं के बारे में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष (Pension and Terminal Benefit Trust Fund) हेतु किये जाने वाले अंशदान जो मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों; तथा

(iii) दिनांक 1.6.2005 के बाद, वर्ष दर वर्ष आधार पर, मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के सेवारत कार्मिकों की चालू सेवाओं के बारे में किये गये अंशदान जो मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों ।

(3) विद्यमान पेंशनभोगी, जो दिनांक 1.6.2005 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से संबंधित उपरोक्त उपकण्डिका (2) (i) में उल्लेखित दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा इस हेतु वांछित भुगतान राशि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के सुसंबद्ध वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी ।

(4) उत्तराधिकारी इकाईयों से संबंधित 01.06.2005 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से संबंधित उपरोक्त कण्डिका (2) (i) में उल्लेखित दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा दिनांक 1.6.2005 के बाद प्रदान की गई सेवाओं हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु ऐसी उत्तराधिकारी इकाई की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं का भाग होगी ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से संबंधित 01.06.2005 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से संबंधित उपरोक्त कण्डिका (2)(i) में उल्लेखित दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा दिनांक 1.6.2005 के बाद प्रदान की गई सेवाओं हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं का भाग होगी ।

बशर्ते यह कि मण्डल तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के कार्मिकों से संबंधित ऐसे समस्त दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा इस हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी ।

बशर्ते यह भी कि उपरोक्त उप–परिच्छेद 1 तथा 2 में उल्लेखित मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी तथा अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के मध्य दायित्वों का विभाजन मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा किये गये जीवनांकिक विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त उप कण्डिका (2) (ii) के संबंध में किये जाने वाले अंशदान के संबंध में दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के सुसंबद्ध वर्ष के टैरिफ में स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा के बारे में निर्णय, वित्तीय प्रभाव के विस्तृत आकलन, पारेषण प्रभारों पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य खुदरा टैरिफ के परिणामी प्रभाव के आधार पर आयोग द्वारा सुसंबद्ध टैरिफ आदेश में लिया जाएगा ।

(6) उपरोक्त उप कण्डिका (2) (iii) के संबंध में किये जाने वाले अंशदान के संबंध में दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के सुसंबद्ध वर्ष के टैरिफ में स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा के बारे में निर्णय, वित्तीय प्रभाव के विस्तृत आकलन, पारेषण प्रभारों, विद्युत उत्पादन लागत, वितरण लागत पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य खुदरा टैरिफ के परिणामी प्रभाव के आधार पर आयोग द्वारा सुसंबद्ध टैरिफ आदेश में लिया जाएगा :

बशर्ते यह कि मण्डल तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के संबंध में अवशेष धारित किये गये कार्मिकों के संबंध में ऐसे समस्त दायित्व मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के टैरिफ में स्वीकार किये जाएंगे तथा इस प्रयोजन से सुसंबद्ध वर्ष हेतु वांछित भुगतान की राशि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी जैसे कि वे कथित कम्पनी के कार्मिक हैं ।

(7) रोकड़ बाह्यप्रवाह (cash outflow) की पूर्ति के संबंध में स्वीकार किये जाने वाले दायित्वों की राशि तथा अंशदान, जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व में किया गया है, आयोग की युक्तियुक्त जांच के अध्यधीन होंगे तथा ये मदें आगे भी राजस्व आवश्यकताओं के सत्यापन के समय की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन होंगी ।

(8) मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के समस्त कार्मिक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हों या सेवारत हो, के पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु वार्षिक रोकड़ बाह्य प्रवाह की पूर्ति के संबंध में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष (Pension and Terminal Benefit Fund) के पूर्णतः तथा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध किये जाने पर रोकड़ बाह्य प्रवाह की पूर्ति के संबंध में रोकड़ अंशदान, जैसा कि इसे उपरोक्त दर्शायी गई कण्डिका (2) (i) में प्रवेक्षित किया गया है, का समापन हो जाएगा तथा इसके पश्चात किये जाने वाले समस्त अंशदान कार्मिकों की सेवा के प्रति प्रत्येक वर्ष हेतु अंशदान के जीवनांकिक विश्लेषण पर आधारित तथा समय-समय पर किये गये जीवनांकिक विश्लेषण पर आधारित न्यास कोष (ट्रस्ट फंड) में किसी कमी (shortfall) या घाटे की पूर्ति हेतु न्यास कोष के निधीयन (funding) हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे।

(9) ऐसे अंशदान, जिनका उल्लेख उपरोक्त परिच्छेदों के अन्तर्गत किया गया है, को टैरिफ के पृथक मद के रूप में माना जाएगा, जिन्हें उपरोक्त दर्शाई गई तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु टैरिफ या प्रभारों या अतिरिक्त राशि (margin) से प्रभिन्न, जिसके लिये इकाई उसके कृत्यों तथा गतिविधियों के प्रति विद्युत अधिनियम, 2003 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा इनके अन्तर्गत संरचित किये गये नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत अधिकृत है, स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

4. **समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency)** : (1) इन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष के अंशदान के प्रति समस्त उद्देश्यों तथा प्रयोजन से इसके क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड समन्वयन अभिकरण होगा ।

(2) मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के प्रतिनिधियों तथा कार्मिकों के साथ पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु कोष के प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित समस्त विषयों के बारे में ऐसे कोष हेतु शासित प्रयोज्य विधि के अनुसार पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु समन्वयन करेगी ।

5. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां** : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

6. **संशोधन की शक्ति** : आयोग किसी भी समय विनियमों में उपबंधों को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने तथा परिवर्तन करने के लिये अधिकृत होगा ।

No. 1191/MPERC/2012 - In exercise of the powers under Section 61, 62, 86 and 181 (2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and Section 26 read with Section 55 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOWING PENSION AND TERMINAL BENEFITS LIABILITIES OF PERSONNEL OF THE BOARD AND SUCCESSOR ENTITIES) REGULATIONS, 2012 (G-38 of 2012)

PREAMBLE

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh has issued the Transfer Scheme Rules, 2003, as amended, in exercise of powers under Sections 23, 24 and 25 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and Sections 131 and 133 of the Electricity Act, 2003, providing for the terms and conditions for transfer of property, interest in property, rights and liabilities as well as the personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board (**'Board'**), including in regard to the pension and terminal benefits related to both serving and retired personnel of the Board and its Successor Entities;

AND WHEREAS, the Successor Entities filed a combined petition for allowing pension other terminal benefits to all personnel of the Board and it's Successor Entities;

AND AHEREAS, the Commission while disposing of the Petitions directed that separate Regulations be made for this purpose delinking it from Tariff Regulations;

NOW THEREFORE the Commission hereby makes the following Regulations, on the matters relating to pension and terminal benefit liabilities and the funding of such liabilities through tariff determined as per the provisions of the Electricity Act, 2003 read with the applicable provisions of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000:

1. **Short title and commencement** – 1.1 These Regulations shall be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Allowing Pension and Terminal Benefits Liabilities of Personnel of the Board and Successor Entities) Regulations, 2012 (G-38 of 2012)".**

1.2 These Regulations shall come into force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh. For tariff determination purposes its provisions will be given effect to in the financial year following the year of its publication.

1.3 These Regulations shall apply to all Personnel as defined in Rule 3(m) and also to existing pensioners as defined in Rule 7(11) of the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 as amended on 13.06.2005.

2. **Definitions:**

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Board" shall mean the Madhya Pradesh State Electricity Board;

(b) "Existing Pensioner(s)" shall mean all Pensioner(s) as on 1.6.2005 ;

(c) "Pensioner(s)" shall mean retired Personnel entitled to pension and other terminal benefits as per terms of their appointment and shall include such family members of deceased Personnel who are entitled to pension and other terminal benefits as per rules;

(d) "Personnel" shall mean workmen, employees, staff, officers and trainees of the Board by whatever name called and including those on deputation to other organisations and institutions as on 1.6.2005 and who are entitled for pension and other terminal benefits as per terms of their appointment;

(e) "Successor Entities" shall mean the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Power Management Company Limited or any other Government owned entity to which the personnel are transferred and any other successor entity in which the property, interest in property, rights and liabilities of the Board are re-vested in accordance with the Transfer Scheme, as amended from time to time;

(f) "Terminal Benefits" shall mean the gratuity, pension, dearness relief and other applicable relief, medical benefit and other applicable benefits including the

right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or Rules or Regulations made thereunder shall have the meaning respectively assigned to them in the Act/ Rules/ Regulations.

3. **Funding of Pension and other Terminal Benefits:** (1) The funding of pension and other terminal benefits in respect of Personnel including Existing Pensioners of the Board and the Pensioners of its successor entities shall be allowed in the manner provided for in these Regulations through tariff to be determined by the Commission for the Successor Entities from time to time.

(2) The liability towards the pension and other Terminal Benefits of the Pensioners and Personnel of the Board and its Successor Entities shall comprise of the following:

(i) cash outflow in each fiscal year for making payment to all the Pensioners including Existing Pensioners subject to the provision of Regulation 3 (8);

(ii) contributions to be made for Pension and Terminal Benefit Trust Fund for all the past services till 31.5.2005 of the Personnel of the Board and its successor entities, both retired and in service, based on actuarial analysis undertaken by Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited from time to time as per the directions of the Commission; and

(iii) contributions for the current service of the serving Personnel of the Board and the successor entities, for the period 1.6.2005 onwards on a year to year basis as per the actuarial analysis undertaken by the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited from time to time as per the directions of the Commission.

(3) The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the existing pensioners namely those who have retired from service upto 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for this purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year.

(4) The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the Personnel who retire from the services after 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the respective successor entities and the payment required for the purpose

shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of such successor entity in the relevant year for the period of service rendered after 01.06.2005.

The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the Personnel who retire from the services after 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year for the period of service rendered up to 01.06.2005:

Provided that all such liabilities related to the Personnel of the Board and Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year, as if they are the Personnel of the said company:

Provided further that apportionment of liabilities amongst MP Power Transmission Company and other successor entities mentioned in sub-para 1 and 2 above shall be as determined through actuarial analysis undertaken by MP Power Transmission Company.

(5) The liabilities in regard to the contribution to be made under sub-clause (2) (ii) above shall be allowed in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year limited to the extent to be decided by the Commission in the relevant tariff order based on a comprehensive assessment of financial implications thereof, its effect on transmission charges and consequent effect on retail tariff payable by the consumers.

(6) The liabilities in regard to the contribution to be made under sub-clause (2) (iii) above shall be allowed in the tariff of respective Successor Entities in the relevant year limited to the extent to be decided by the Commission in the relevant tariff order based on a comprehensive assessment of financial implications thereof, its effect on transmission charges, generation cost, distribution cost and consequent effect on retail tariff payable by the consumers:

Provided that all such liabilities related to the balance Personnel retained in the Board and Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall be allowed in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year, as if they are the Personnel of the said company.

(7) The amount to be allowed as liabilities for meeting the cash outflow and the contribution referred to above shall be subject to prudence check by the Commission and shall further be subject to further review at the time of the truing up of the revenue requirements.

(8) Upon the Pension and Terminal Benefit Trust Fund being fully and adequately funded to meet the annual cash outflow for payment of pension and other Terminal Benefits of all the Personnel of the Board and the successor entities, both retired and in service, the cash contribution for meeting such cash outflow as envisaged in sub clause (2) (i) herein above, shall terminate and thereafter all contributions shall be towards funding the trust fund based on actuarial analysis of the contributions to be made for each year, for the service of the Personnel and for the shortfall or deficit in the trust fund based on actuarial analysis from time to time.

(9) The contributions as mentioned herein above shall be treated as a separate item of tariff to be allowed to the respective successor entities mentioned above, distinct from the tariff or charges or margin which the entity is entitled to for its functions and activities in terms of the provisions of the Electricity Act, 2003, the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and the Rules and Regulations framed thereunder.

4. **Nodal Agency:** (1) The Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited shall be the Nodal Agency for all intent and purpose to implement the Pension and Terminal Benefits Trust Funds contributions under these Regulations.

(2) The Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited shall coordinate with the representatives of other Successor Entities as well as the Personnel for all matters

relating to management and administration of the funds for the pension and terminal benefits in accordance with the applicable law governing such funds.

5. **Power to remove difficulties:** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

6. **Power to amend:** The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.